



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 5 अगस्त, 2004
श्रावण 14, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1128/सात-वि-1-1(क)-13-2004
लखनऊ, 5 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 5 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम,
2004 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह 11 जून, 2004 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (2) के अन्त में और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूँजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर जिसका उपयोग या उपभोग उक्त इकाई द्वारा किया जाय, किसी व्यापारी द्वारा संदेय कर के दायित्व के दायी होने की अनुमति, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, दे सकती है।

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2004

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य ऊर्जा नीति-2003 को कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 को संशोधित करके उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूँजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर, जिसका उपयोग या उपभोग उक्त इकाई द्वारा किया जाय, किसी व्यापारी द्वारा संदेय कर के दायित्व के दायी होने की अनुमति दे सकने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था की जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 जून, 2004 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया। यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1128 (2)/VII-V-1-1(KA)-13-2004
Dated Lucknow, August 5, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2004) as passed by the Uttar-Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2004.

U.P Act No. 15 of 2004

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT) BILL, 2004

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2004.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on June 11, 2004.

Amendment of
section 3 of U.P.
Act no. 15 of 1948

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 (U.P. Act no. 15 of 1948), hereinafter referred to as the principal Act, after sub-section (6), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :-

“(7) Subject to such conditions as may be prescribed, the State Government may permit any Power Project Industrial Unit, engaged in generation, transmission and distribution having the aggregate capital investment of Rs. 1000 Crore or more to own the trade tax liabilities of a dealer of such sales as are made to that unit:

Provided that such permission may also be granted in the case of a sub-dealer whose sales culminate in the purchases by such unit.

(8) Subject to such conditions as may be prescribed, the State Government may, by notification, declare that the rate of trade tax leviable on various goods at the time of start of the establishment of a Power Project Industrial Unit shall not be enhanced in the case of purchases by such unit during the period of exemptions.”

Amendment of
section 8

3. In section 8 of the principal Act, after sub-section (2-A), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

“(2-B) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act and rules made thereunder, the State Government may grant moratorium from payment of the admitted tax to a Power Project Industrial Unit, subject to such conditions as may be prescribed.”

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in such-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U. P.
Ordinance
no. 7 of
2004

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to implementing the State Energy Policy-2003 approved by the State Government it was decided to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 to provide for empowering the State Government,-

1. to permit any Power Project Industrial Unit engaged in generation, transmission and distribution having the aggregate capital investment of Rs. one thousand crore or more to own the trade tax liability of a dealer of such sales as are made to the said unit;

2. to declare that the rate of tax leviable on various goods at the time of start of the establishment of the said unit shall not be enhanced with respect to the purchases by the said unit during the period of exemption;

3. to grant moratorium to the said unit from the payment of admitted tax.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2004 (U. P. Ordinance no. 7 of 2004) was promulgated by the Governor on June 11, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

MULAYAM SINGH YADAV,
Mukhya Mantri.